अनुदान संख्या 31 - विदेश मंत्रालय
GRANT No. 31 –MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged -*		*3,00*	..	*-3,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*3,00*
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	5621,57,00	6247,97,00	6254,29,34	+ 6,32,34
पूरक	Supplementary	626,40,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				135,66,65
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted -				
मूल	Original	753,40,00	872,00,00	898,97,66	+ 26,97,66
पूरक	Supplementary	118,60,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹3.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और जिसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, यद्यपि ₹62640.00 लाख का पूरक अनुदान अगस्त, 2010, नवंबर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गया था और ₹13566.65 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई थी, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹632.34 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹6,32,33,514 था)। **अधिक व्यय को अनुदानों की अधिक मांगों को संसद द्वारा स्वीकृत करवाकर नियमित करने की आवश्यकता होती है।**

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation of Rs 3.00 lakhs* remained wholly unutilised under three heads and was eventually surrendered.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, although supplementary grants of ₹62640.00 lakhs was obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and an amount of ₹13566.65 lakhs was surrendered, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹632.34 lakhs (actual excess was ₹6,32,33,514). **The excess requires regularization by voting of excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईं:-

Excess/savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess + बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय - सामान्य सेवाएं	Secretariat-General Services				
मू.	O.	23406.00			
पू.	S	204.00	23001.66	22614.36	- 387.30
पु.	R	-608.34			
मुख्य शीर्ष "2061"	Head "2061"				
विदेश मामले	External Affairs				
मू.	O.	342855.00			
पू.	S.	6424.00	331882.69	344301.55	+12418.86
पु.	R.	-17396.31			
मुख्य शीर्ष "2075"	Major Head "2075"				
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services				
मू.	O.	1.00			
			7373.00	4606.03	- 2766.97
पु.	S.	7372.00			
मुख्य शीर्ष "3605"	Major Head "3605"				
अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	195895.00			
पू.	S.	48640.00	248973.00	253907.40	+ 4934.40
पु.	R.	4438.00			

(I) अधिक व्यय (₹3220.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए हुआ जैसा कि ₹6424.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(I) The excess (₹3220.00 lakhs) occurred for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹6424.00 lakhs and vide Annexure to the Supplementary Demands for Grants under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2061" - "अन्य व्यय - संस्थाओं को अनुदान" - ₹140.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹124.66 लाख था।

(A) Major Head "2061" - "Other Expenditure - Grants to Institutions" – ₹140.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹124.66 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग - मालदीव को सहायता" - ₹3080.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3012.27 लाख था।

(B) Major Head "3605" – "Cooperation with Other Countries – Aid to Maldives" – ₹3080.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3012.27 lakhs.

(II) मुख्य शीर्ष "2061" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ :-

(II) Under Major Head "2061"- excess occurred under the following heads:-

(का) "दूतावास और मिशन - प्रबंधन और स्थापना" - ₹7723.32 लाख का अधिक व्यय (₹424.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹131172.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, कार्यालय व्यय, पुराने भवनों का नवीकरण, अफगानिस्तान में तैनात कार्मिकों के लिए बढ़ी हुई बीमा प्रीमियम की अदायगी और कुछ मिशनों में स्थानीय स्टाफ के विदेश भत्ते को संशोधित किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Embassies and Missions – Management and Establishment" – excess of ₹7723.32 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹131172.00 lakhs including supplementary grant of ₹424.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, office expenses, renovation of old buildings, payment of enhanced insurance premium for officials posted in Afghanisan and revision of foreign allowances of local staff in some missions.

(खा) "अन्य व्यय - अन्य स्कीमें" - ₹5280.00 लाख का अधिक व्यय (₹425.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नागरिक असंतोष की वजह से लीबिया से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) "Other Expenditure - Other Schemes" – excess of ₹5280.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹425.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for evacuation of Indians from Libya owing to civil disturbances.

(III) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग" के अंतर्गत अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(III) Under Major Head "3605" – "Cooperation with Other Countries" – excess occurred under the following heads:-

(का) "भूटान को सहायता" - ₹7955.44 लाख का अधिक व्यय (₹33540.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹125100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुनतसान्छू-I और मंगदेछू परियोजनाओं की अदायगी के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Aid to Bhutan" –excess of ₹7955.44 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹125100.00 lakhs including supplementary grant of ₹33540.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payments for Punatsanchhu-I and Mangdechhu projects.

(खा) "नेपाल को सहायता" - ₹1686.03 लाख का अधिक व्यय (₹15100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राप्त करने वाले देश में परियोजनों की प्रतिबद्ध अनिवार्य अदायगी का समाशोधन किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) "Aid to Nepal" – excess of ₹1686.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15100.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear committed obligatory payments for the projects in the recipient country.

(गा) “अन्य विकासशील देशों को सहायता” - ₹938.70 लाख का अधिक व्यय (₹3435.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू परियोजनाओं और मैसर्स राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड को संविदागत अदायगी किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) “आपदा राहत के लिए सहायता” - ₹683.33 लाख का अधिक व्यय (₹11500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹15500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पाकिस्तान को बाढ़ राहत और वेनेजुएला को आपदा राहत के लिए सहायता दिए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ङ) “आईटीईसी कार्यक्रम” - ₹1086.07 लाख का अधिक व्यय (₹500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹10500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न कार्यकलापों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(चा) “अफगानिस्तान को सहायता” - ₹3974.88 लाख का अधिक व्यय (₹2000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹31000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)चालू परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

3. उपर्युक्त अधिक व्यय बचतों द्वारा निम्नानुसार आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गया:-

(I) ₹36.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2052” - “सचिवालय - विदेश मंत्रालय”- ₹23405.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹204.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹23609.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹996.07 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों के न भरे जाने, कम स्थानीय दौरे किए जाने, हवाई माल भाड़ा बिलों की अदायगी न किए जाने और बाह्य स्रोतों से कम लोगों को काम पर रखे जाने के कारण हुई।

(C) “Aid to Other Developing Countries” – excess of ₹938.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3435.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards ongoing projects and contractual payment to M/s National Building Construction Corporation Limited.

(D) “Aid for Disaster Relief” – excess of ₹683.33 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15500.00 lakhs including supplementary grant of ₹11500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for assistance to Pakistan for flood relief and disaster relief to Venezuela.

(E) “ITEC Programme” - excess of ₹1086.07 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs including supplementary grant of ₹500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards various activities undertaken under the scheme.

(F) “Aid to Afghanistan” - excess of ₹3974.88 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹31000.00 lakhs including supplementary grant of ₹2000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards ongoing projects.

3. The above excess was partly offset by savings as under:-

(I) Provision of ₹36.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head “2052” – “Secretariat - Ministry of External Affairs” – the original provision of ₹ 23405.00 lakhs was augmented to ₹23609.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹204.00 lakhs. However, there was a saving of ₹996.07 lakhs (including supplementary grant) – due to non-filling up of vacant posts, less local tours, non-payment of airfreight bills and less manpower outsourced.

(खा) मुख्य शीर्ष "2061" - "विशेष राजनयिक व्यय - विवेकाधीन व्यय" - ₹120000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹6000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹126000.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹6825.48 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) प्रस्तावित कार्यकलापों को लागू न किए जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "2061" – "Special Diplomatic Expenditure – Discretionary Expenditure" – the original provision of ₹120000.00 lakhs was augmented to ₹126000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹6000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹6825.48 lakhs (including supplementary grant) – due to non-implementation of activities proposed.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(III) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "2075" - "विनिमय द्वारा हानि" - ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹7372.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7373.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो विनिमय की अनुकूल दर होने के कारण ₹2766.97 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(A) Major Head "2075" – "Loss by Exchange" - the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹7373.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹7372.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2766.97 lakhs - due to favourable rates of exchange.

(खा) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग - कोलंबो योजना के अंतर्गत दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को तकनीकी सहायता" - ₹600.00 लाख की निधियां पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गई थीं, तथापि, जो पाठ्यक्रमों के लिए विनियामक अनुमोदन और संस्थानों से बिल प्राप्त करने में विलंब होने की वजह से ₹446.36 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(B) Major Head "3605" – "Cooperation with Other Countries - Technical Aid to South and South East Asia under Colombo Plan" – funds of ₹600.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of ₹446.36 lakhs - due to delay in receipt of regulatory approvals for the courses and bills from the Institutes.

(IV) मुख्य शीर्ष "2061" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2061" – savings occurred under the following heads:-

(का) "प्रशिक्षण - विदेश सेवा प्रशिक्षण संस्थान" - ₹410.81 लाख की बचत (₹982.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विदेशी राजनयिकों के लिए योजनागत पेशेवर पाठ्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Training – Foreign Service Training Institute" – saving of ₹410.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹982.00 lakhs) was due to non-conduction of planned professional courses for Foreign Diplomats.

(खा) "अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें - अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/बैठकें" - ₹184.51 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम बैठकें किए जाने के कारण हुई।

(B) "International Conferences/Meetings – International Conferences/Meetings" – saving of ₹184.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to materialization of less meetings.

(गा) "पासपोर्ट और उत्प्रवास - केंद्रीय पासपोर्ट और उत्प्रवास संगठन" - ₹1988.45 लाख की बचत (₹35876.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और विक्रेताओं से बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(घा) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग" -

(क) "अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन" - ₹825.72 लाख की बचत (₹2142.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कम अंशदान जारी किए जाने के कारण हुई।

(ख) "संयुक्त राष्ट्र संघ" - ₹829.69 लाख की बचत (₹15206.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नियमित संयुक्त राष्ट्र बजट को कम अंशदान जारी किए जाने और कुछ संगठनों को अंशदान की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "एशिया प्रशांत में सुरक्षा सहयोग के लिए परिषद" - ₹592.95 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावित आईआईएसएस सम्मेलन रद्द किए जाने के कारण हुई।

(घ) "दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय" - ₹4474.73 लाख की बचत (₹5025.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए प्रतिभागी देशों के साथ कार्य पद्धतियों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ङ) "नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय" - ₹278.63 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण संबंधी कार्य शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "अन्य व्यय" -

(C) "Passport and Emigration – Central Passport and Emigration Organisation" – saving of ₹1988.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35876.00 lakhs) was due to non- filling up of vacant posts and delay in receipt of bills from the vendors.

(D) "International Cooperation"-

(a) "Other International Organisation"-saving of ₹825.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2142.10 lakhs) was due to release of less contributions to some of the International Organisation.

(b) "United Nations Organisations" – saving of ₹829.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15206.90 lakhs) was due to release of less contribution to the regular UN budget and non-payment of contribution to some of the organisations.

(c) "Council for Security Co-operation in Asia Pacific" – saving of ₹592.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to cancellation of the proposed IISS conference.

(d) "South Asian University" – saving of ₹4474.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5025.00 lakhs) was due to non-finalization of modalities with participant countries for setting up of the University.

(e) "Nalanda International University" – saving of ₹278.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-commencement of construction work of Nalanda International University.

(E) "Other Expenditure" –

(क) "सीमाओं का अंकन" - ₹115.35 लाख की बचत (₹360.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बंगलादेश से सर्वेक्षण टीमों की उपलब्धता न होने और नेपाल के साथ संयुक्त कार्य समूह को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(a) "Demarcation of Boundaries" – saving of ₹115.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹360.00 lakhs) was due to non availability of survey teams from Bangladesh and non finalization of joint working group with Nepal.

(ख) "हज पर व्यय" -₹218.15 लाख की बचत (₹980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हज ड्यूटी पर कम कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने और दवाइयों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Expenditure on Haj" – saving of ₹218.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹980.00 lakhs) was due to deputation of fewer officials for Haj duty and requirement of less funds for medicines.

(ग) "विशेष कार्यक्रम" - ₹369.13 लाख की बचत (₹2260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिमय की अनुकूल दर होने और छात्रवृत्ति के लिए लाभार्थियों की कम संख्या होने और संगोष्ठी बिलों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(c) "Special Programmes" – saving of ₹369.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2260.00 lakhs) was due to favourable rates of exchange and less number of beneficiaries for scholarships and non receipt of seminar bills.

(घ) "मिशनों को विशेष अनुदान" - ₹769.21 लाख की बचत (₹1569.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) क्षेत्रीय हिन्दी सम्मेलन का आयोजन न किए जाने और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोहों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(d) "Special Grants to Missions" – saving of ₹769.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1569.00 lakhs) was due to non-conduction of Regional Hindi Conference and requirement of less funds for celebrations of Independence and Republic Day.

(ङ) "विदेश मंत्रालय हास्टल एवं आवासीय परिसर" - ₹262.17 लाख की बचत (₹603.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन संशोधन के बकायों की अदायगी न किए जाने, बिलों की प्राप्ति न होने, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से अनुमानों की प्राप्ति में विलंब होने और होस्टल और आवासीय परिसरों के रख रखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(e) "MEA Hostels and Residential Complexes" – saving of ₹262.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹603.00 lakhs) was due to non-payment of arrears of revision of pay, non-receipt of bills, delay in receipt of estimates from Central Public Works Department and requirement of less funds towards maintenance of Hostel and Residential Complexes.

(V) मुख्य शीर्ष "3605" - "अन्य देशों के साथ सहयोग" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(V) Under Major Head "3605" – "Cooperation with Other Countries" – savings occurred under the following heads:-

(का) "बंगलादेश को सहायता" - ₹313.42 लाख की बचत (₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंशदान

(A) "Aid to Bangladesh" – saving of ₹313.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs) was due to non materialization of proposal

प्राप्तिकर्ता देश की स्थानीय परिस्थितियों की वजह से अंशदान जारी करने संबंधी प्रस्ताव के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

for release of contribution owing to local conditions of the recipient country.

(खा) "म्यांमार को सहायता" - ₹1599.52 लाख की बचत (₹9000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कालादन परियोजना के निर्माण को शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Aid to Myanmar" - saving of ₹1599.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9000.00 lakhs) was due to delay in commencement of construction of Kaladan project.

(गा) "सार्क कार्यक्रम" - ₹704.36 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(C) "SAARC Programme" - saving of ₹704.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs); and

(घा) "बहुपक्षीय आर्थिक संबंध कार्यक्रम" - ₹162.07 लाख की बचत (₹1500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(D) "Multilateral Economic Relation Programme" – saving of ₹162.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1500.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सहायता पाने वाले देश की स्थानीय परिस्थिति की वजह से सहायता की मात्रा संबंधी प्रस्ताव के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to non-materialization of proposals for quantum of assistance owing to local condition of the recipient country.

(ङ) "अफ्रीकीं देशों को सहायता" - ₹5310.18 लाख की बचत (₹15000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजनाओं के विलंब से शुरू होने और कार्यान्वयन अभिकरणों से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(E) "Aid to African Countries" – saving of ₹5310.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15000.00 lakhs) was due to delayed commencement of projects and non-receipt of claims from implementing agencies.

(चा) "निवेश संवर्धन और प्रचार कार्यक्रम" - ₹316.15 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्यात आयात बैंक द्वारा यथा प्रस्तावित ऋण आधार पर ब्याज आर्थिक सहायता के रूप में नेपाल और बंग्लादेश को कम संवितरण किए जाने के कारण हुई।

(F) "Investment Promotion and Publicity Programme" - saving of ₹316.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to less disbursals to Nepal and Bangladesh as interest subsidy on Lines of credit as projected by EXIM bank.

(छा) "यूरेसियन देशों को सहायता" - ₹1143.25 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता पाने वाले देश की स्थानीय परिस्थिति की वजह से सहायता की मात्रा संबंधी प्रस्ताव के मूर्त रूप न लेने और वर्जोब-I परियोजना के लिए बिलों की प्राप्ति और रक्षा कार्मिकों के प्रशिक्षण में विलंब होने के कारण हुई।

(G) "Aid to Eurasian Countries" - saving of ₹1143.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-materialization of proposal for quantum of assistance owing to local condition of the recipient country and delay in receipt of bills towards Verzob-I project and training of defence personnel.

(जा) "लैटिन अमरीकी देशों को सहायता" - ₹142.22 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इक्वाडोर में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए अंशदान को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(H) "Aid to Latin American Countries" - saving of ₹142.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs) was due to non-finalization of contribution to establishment of Centre for Excellence in IT in Ecuador.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, यद्यपि मार्च, 2011 में ₹11860.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹2697.66 लाख अधिक हो गया (वास्तविक अधिक व्यय ₹26,97,65,506 था)। **अधिक व्यय को संसद द्वारा अनुदानों की अधिक मांगों को स्वीकृत करवाकर नियमित करने की आवश्यकता होती है।**

4. In the capital section of the grant, although supplementary grant of ₹11860.00 lakhs was obtained in March, 2011, the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹2697.66 lakhs (actual excess was ₹26,97,65,506). **The excess requires regularization by voting of excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

Excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	27500.00	30000.00	31508.99	+1508.99
पु.	S.	2500.00			
मुख्य शीर्ष "7605"	Major Head "7605"				
विदेशी सरकारों को अग्रिम	Advances to Foreign Governments				
मू.	O.	37840.00	47200.00	48405.02	+1205.02
पु.	S.	9360.00			

(I) मुख्य शीर्ष "4059" - "अन्य भवन - निर्माण - विदेशी मामले" के अंतर्गत ₹1508.99 लाख का अधिक व्यय (₹2500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सिडनी में चांसरी भवन की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(I) Under Major Head "4059"- "Other Buildings - Construction – External Affairs"- excess of ₹1508.99 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs including supplementary grant of ₹2500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for purchase of chancery building in Sydney.

(II) मुख्य शीर्ष "7605" - "भूटान सरकार को कर्ज" के अंतर्गत ₹1205.02 लाख का अधिक व्यय (₹9360.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹47200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पुनतसांछू-I और मंगदेछू परियोजनाओं की अदायगी का समाशोधन करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Under Major Head "7605"- "Loans to Government of Bhutan" – excess of ₹1205.02 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹47200.00 lakhs including supplementary grant of ₹9360.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear payments for Punatsanchhu-I and Mangdechhu projects.